जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) सिवान

District Institute of Education and Training (DIET) Siwan

नामांकन संबंधी आवश्यक निदेश

नामांकन के लिए सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क के रूप में रू0.– 11500.00/(ग्यारह हजार पॉच सौ रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति /जन जाति /निःशक्त अभ्यर्थी को रू0– 7000.00/ (सात हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट जो प्राचार्य, डायट, सिवान के नाम IN FAVOUR OF - PRINCIPAL DIET SIWAN, के पदनाम से इलाहाबाद बैंक सिवान के मुख्य शाखा में भुगतेय (PAYABLE) हो। बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए।

नामांकन की यह राशि प्रथम वर्ष का मात्र शिक्षण शुल्क के लिए है। प्रथम चयनित मेघा सूची के अभ्यर्थी दिनांक 29.01.2021 से दिनांक 06.02.2021 तक अपना नामांकन संस्थान में करा सकते है। इसके बाद उनकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे –

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्राप्ती रसीद दो प्रति।
2. मैट्रिक / दसवीं / फोकनियॉ का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक प्रमाण–पत्र – मूल
3. इंटरमीडिएट /+2/ मौलवी/ मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक प्रमाण–पत्र
4. महाविद्यालय परित्याग प्रमाण –पत्र की मूल प्रति।
5. आवासीय प्रमाण – पत्र अद्यतन (सक्षम पदाधिकारी द्वार निंगत)
6. जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वार निंगत)
7. निःशक्त प्रमाण– पत्र (जिला चिकित्सा पदाधिकरी द्वारा निंगत)
8. आर्थिक दृष्टी से पिछड़े EWS वर्ग का प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वार निंगत)
9. शपथ–पत्र अनुमंडल पदाधिकरी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निंगत ।
10. चार रंगीन पासर्पोट फोटो।
11. उच्च योग्यता से सम्बंधित प्रमाण पत्र यदि हो तो।
12. आधार कार्ड मूल रूप से लाना अनिवार्य है।

नोट :– अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जाएगा। नामांकन के समय अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्र एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति की दो कॉपी दो फोल्डर में जमा करेंगे। नामांकन के समय संस्थान में अभ्यर्थी के सभी मूल प्रमण पत्र जमा करा लिया जाएगा एवं जॉच के क्रम में फर्जी/जाली पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन तत्काल प्रभाव से रदद करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इसकी सूचना विभाग के उच्चधिकारी को भी दी जाएगी।

27/01/2021

(प्रकाश रंजन)

प्राचार्य

डायट,सिवान।

27/01/2021